राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1470/2011/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन राज.–प्रथम, जयपर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राजधानी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री दिनेश कुमार, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 12/10/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स)–प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 199/68/RVAT/APP-IV/NRD/10-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 03.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें अपीलीय अधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, राजस्थान–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 27.06.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है जिसमें आरोपित शास्ति रूपये 2,81,064/– को अपास्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 01.05.2001 को वाहन संख्या आर.जे.14/जी–7550 को चंदवाजी–चौमूं रोड़ पर चैक किये जाने पर वाहन में इलेक्ट्रिक एवं मोटर पार्ट्स का दिल्ली से जयपुर व मुम्बई के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल से सम्बन्धित चालान संख्या 0337 दिनांक 30.04.2001 (दिल्ली से जयपुर) एवं इससे सम्बन्धित बिल व बिल्टियां तथा चालान संख्या 0336 दिनांक 30.04.2001 (दिल्ली से मुम्बई) एवं इससे सम्बन्धित बिल व बिल्टियां प्रस्तुत की गयी। सक्षम अधिकारी ने उक्त दस्तावेजों की दिल्ली वाणिज्यिक कर विभाग से जांच करवाये जाने पर कुछ फर्में अस्तित्व में नहीं पायी गयी तथा कुछ फर्मों द्वारा बिल जारी नहीं किया जाना पाया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मालिक को माल के प्रेषक प्रेषिति के सत्यापन एवं माल के भौतिक सत्यापन बाबत् नोटिस दिया जाने पर कोई जवाब पेश नहीं किया गया एवं ना ही उनकी ओर से कोई उपस्थित हुआ। इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा

लगातार.....2

दो गवाहों के समक्ष माल का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें पाया गया कि प्रस्तुत दस्तावेजों में परिवहनित माल की कीमत रूपये 1,39,854/– उल्लेखित की गयी है, जबकि बाजार दर के अनुसार उक्त माल की कीमत का आंकलन करवाये जाने पर माल की कीमत रूपये 6,95,530/– पायी गयी। इसके अतिरिक्त माल के पैकिंग पर जयपुर के व्यापारियों के नाम/पते अंकित पाये गये एवं इस प्रकार उचन्ति व मिथ्या दस्तावेजों से माल का परिवहन किया जाना अवधारित करते हुए धारा 78(5) के तहत शास्ति रूपये 2,08,659/– एवं कर रूपये 72,405/– का आरोपण कर आदेश दिनांक 27.06.2001 पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी व्यवहारी की अपील, अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 03.03.2011 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि उनका माल दिल्ली से मुम्बई/नासिक के लिये परिवहनित किया जा रहा था। माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिनमें किसी प्रकार की त्रुटि सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं बताई गई। दिल्ली/मुम्बई के व्यवसायियों के बयानों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी को क्रॉस एग्जामिन नहीं करवाया गया। माल राज्य के बाहर से राज्य के बाहर के लिये परिवहनित किया जा रहा था जिसमें राज्य का कोई करापवंचन सम्भव नहीं था। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. इस प्रकरण में वक्त जांच माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण इस आधार पर किया गया है कि माल के पैकिंग/नगों की जांच पर उन पर राजस्थान के व्यवहारियों के नाम/पते अंकित किये गये हैं तथा दिल्ली में जारी बिलों की विक्रेताओं की जांच पर वे बोगस व अस्तित्वहीन होना पाया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा दिल्ली/मुम्बई के व्यवहारियों का सत्यापन नहीं करवाया गया एवं माल का परिवहन दिल्ली से मुम्बई, राज्य के बाहर से बाहर मिथ्या रूप से बताया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में यह निर्णय दिया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विवादित माल का ट्रांसपोर्टेशन राज्य के बाहर

लगातार.....3

से राज्य के बाहर (out of State to out of State) किया जाना था तब किसी भी तरह का अपराध राज्य में कारित नहीं होता अतः अपील निर्णय में प्रकरण प्रतिप्रेषित कर यह आदेश दिये गये हैं कि सक्षम अधिकारी यदि यह प्रमाणित करे कि माल राजस्थान में ही खाली होना प्रमाणित है तभी शास्ति आरोपित करें। प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों के विश्लेषण पर यह जाहिर होता है कि उक्त ट्रांसपोर्टर द्वारा एक वाहन में दिल्ली से जयपुर के लिये माल लोड करवाया थ एवं कुछ माल जिसका चालान एवं बिल्टियां पेश की थी वे दिल्ली से मुम्बई के लिये माल परिवहनित होना दर्शा रही थी परन्तु वाहन के माल की जांच पर मुम्बई के लिये घोषित माल के नगों पर जयपुर के व्यवसायियों के नाम पते पाये गये एवं बिलों की जांच दिल्ली से करवाने पर या तो वे फर्में बोगस पायी गयी या उनके द्वारा बिल जारी नहीं करना पाया गया। नोटिस दिया जाने पर ट्रांसपोर्टर ने असहयोग कर उपस्थिति नहीं दी एवं न ही नोटिस में चाहे गये स्पष्टीकरण का पूर्ण जवाब पेश किया गया ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया कि दिल्ली से वाहन जयपुर के लिये माल ला रहा था उसमें कुछ माल के दस्तावेज दिल्ली से मुम्बई के बनाये गये, किन्तु जांच में बिल बोगस या मिथ्या पाये गये थे। इसी तरह माल की जांच पर जयपुर में खाली होने का गहरा संदेह प्रमाणित होना मानते हुए शास्ति आरोपित की गई थी।

अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करने का आधार यह दिया गया है कि जो माल राज्य के बाहर से राज्य के बाहर परिवहन हो रहा था चाहे बिल बोगस भी है तो राज्य में शास्ति आरोपण विधिक नहीं है एवं इस निष्कर्ष के साथ प्रकररण प्रतिप्रेषित किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक बिन्दु पर दिया गया निष्कर्ष तो उचित है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करवाई गई जांच में यह स्पष्ट दृष्टिगत है कि जयपुर में खाली होने वाले माल के साथ मुम्बई जाने के दस्तावेजों के माल पर जयपुर के नाम पते भी थे ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी का निर्णय भी उचित था परन्तु अपीलीय अधिकारी ने प्रतिप्रेषण आदेश में माल खाली होने के प्रमाणीकरण का भार कर निर्धारण अधिकारी पर रखा है वह अनुचित है क्योंकि माल राज्य के बाहर ले जाने का प्रमाण प्रत्यर्थी को प्रस्तुत करना था अतः राजस्व की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रतिप्रेषण के आदेशों को परिवर्तित कर यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि प्रत्यर्थी व्यवहारी माल का राज्य के बाहर डिलीवर करना प्रमाणित करे तब शास्ति आरोपित न करें एवं प्रमाणित न करने पर पुनः शास्ति आरोपित की जावे।

8. परिणामतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

12/10/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य